स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :- टी0 आर0 विद्यालय समिति । बुन्दूरका

2. संस्था का पता :- ग्राम व पोस्ट रूपवास पंचगाईं, तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर (उ0प्र0) बुन्दूरका

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त मेरठ मण्डल होगा ।

4. संस्था के उद्देश्य :- 1. शिक्षा का प्रसार प्रचार करना ।
   2. शिक्षा के लिये स्कूल कालेज विद्यालयों की स्थापना तथा उनका संचालन करना ।
   3. विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना ।
   4. राष्ट्र की एकता अखण्डता की भावना पैदा करना ।
   5. वाचनालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना तथा उनका संचालन करना ।
   6. सामाजिकता की भावना पैदा करना ।
   7. ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं के लिये उजागर हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना ।

कार्यालय उप निबन्धक समिति मेरठ

....2 पर

प्रमाणीकरण (दिनांक) 24-01-04

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटी तथा चिट्स
मेरठ

नियमावली

1. नाम संस्था — टी० आर० विद्यालय समिति ।
2. संस्था का पता — ग्राम व पोस्ट स्यवास पंचगाई, तहसील सीकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त मेरठ मण्डल होगा ।
4. संस्था के उद्देश्य — स्मृति पत्र के अनुसार ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

1. आजीवन सदस्य :-

जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 2000/- रू० अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा ।

2. विशिष्ट सदस्य :-

जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 1500/- रू० अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा ।

3. साधारण सदस्य :-

जो संस्था को एक मुश्त प्रति वर्ष 100/- रू० दान में देगा वह संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा ।

6. सदस्यता में पृथकीकरण :-

1. किसी न्यायालय से दण्डित होने पर ।
2. दिवालिया घोषित होने पर ।
3. 18 वर्ष से कम होने पर ।
4. मृत्यु होने पर ।
5. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर ।
6. अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक के निर्देशों का पालन न करने पर ।

पंजीकरण (दिनांक) 24-07-04

...2 पर

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

[illegible]• संस्था की प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्य, नाम, पिता का नाम, पता, पद व्यवसाय जिनके संस्था के नियमों के अनुसार कार्य भार सौंपा गया है ।

क्रमांक	नाम/पिता का नाम एवं पता	पद	व्यवसाय
1•	श्री बुन्दू खां पुत्र श्री हुसैन बक्श ग्राम व पो0 बंचावली, जिला बुलन्दशहर।	अध्यक्ष	नौकरी
2•	श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह ग्राम व पो0 रूपवास पंचगाई, जिला बुलन्दशहर।	उपाध्यक्ष	कृषि
3•	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रोहताश सिंह गांव मियाना पोस्ट रबूपुरा जिला गौतमबुद्धनगर ।	प्रबन्धक	कृषि
4•	श्री ब्रहम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री श्यामपालसिंह गांव व पो0 रूपवास पंचगाई, जिला बुलन्दशहर।	उपप्रबन्धक	कृषि
5•	श्रीमति तसवीर देवी पत्नी श्री तेजवीर सिंह गांव व पो0 रूपवास पंचगाई, जिला बुलन्दशहर।	कोषाध्यक्ष	कृषि
6•	श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री भूले सिंह गांव लुहाकर पो0 साहपुर जि0 बुलन्दशहर।	सदस्य	नौकरी
7•	श्री संजय सिंह पुत्र श्री रतन लाल गांव लुहाकर पो0 साहपुर जि0 बुलन्दशहर।	सदस्य	कृषि
8•	श्री संजय कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गांव औगना पो0 खानपुर जि0 बुलन्दशहर।	सदस्य	कृषि
9•	श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री होराम सिंह गांव व पो0 बंचावली, जि0 बुलन्दशहर।	सदस्य	नौकरी
10•	श्री कमल सिंह पुत्र श्री श्यामलाल सिंह गांव ~~[illegible]~~ चचोई पो0 रूपवास पंचगाई जिला बुलन्दशहर।	सदस्य	नौकरी
11•	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र श्री तेजसिंह गांव व पो0 रूपवास पंचगाई जिला बुलन्दशहर।	सदस्य	नौकरी
12•	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह गांव व पो0 रूपवास पंचगाई जिला बुलन्दशहर।	सदस्य	कृषि

पंजीकरण (दिनांक) 24-01-04

Sanjeev Kumar बुन्दूखां
जयवीरसिंह
रतनवीरसिंह
राकेशशर्मा

Rakesh Kumar
कुन्दनसिंह पुत्र
बलवीरसिंह
प्रेमपालसिंह
तसवीरदेवी

Sanjay
Jaipal Singh

Shabaj Kumar
Rakesh Kumar
प्रतापसिंह
राजेन्द्र सिंह सोलंकी

सत्य प्रतिलिपि

....3

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
27-2-04

क्रमांक	नाम/पिता का नाम एवं पता	पद	व्यवसाय
13.	श्री प्रेमपाल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह आवास विकास द्वितीय, बुलन्दशहर.	सदस्य	नौकरी
14.	श्री तेजवीर सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह गांव व पो0 रूपवास पंचगाई, बुलन्दशहर.	सदस्य	नौकरी
15.	श्री जयवीर पुत्र श्री टूकी गांव व पो0 रूपवास पंचगाई, बुलन्दशहर.	सदस्य	कृषि
16.	श्री कन्छी सिंह पुत्र श्री लछमी सिंह गांव व पो0 रूपवास पंचगाई, बुलन्दशहर.	सदस्य	कृषि
17.	श्री श्यौराज सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह गांव अमराई पो0 दोनौल जि0 बुलन्दशहर.	सदस्य	कृषि
18.	श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री टूकी सिंह गांव व पो0 अमोता, जि0 गाजियाबाद.	सदस्य	कृषि
19.	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीप सिंह गांव व पो0 दोस्तपुर, जिला बुलन्दशहर.	सदस्य	नौकरी
20.	श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ~~[illegible]~~ शिव दत्त शर्मा गांव व पो0 रूपवास पंचगाई जिला बुलन्दशहर.	सदस्य	कृषि
21.	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह गांव व पो0 रूपवास पंचगाई, जि0 बुलन्दशहर	सदस्य	नौकरी

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने एक संस्था का गठन किया है और सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते है।

हस्ताक्षर
Sanjeev Kumar
Pratap Singh
Kanchi Singh Pradhan
Balveer Singh
Raj Kumar Sharma
Jaykishan
Satveer Singh
Tejveer Singh
Sanjeev Kumar

Rakesh Kumar
Premchand

दिनांक 15/01/04

पंजीकरण (दिनांक) 24-02-04

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म चिट्टियां तथा विद्युत
बुलन्दशहर
27-2-04

7• संस्था के अंग :

1• साधारण सभा ।
2• प्रबन्धकारिणी समिति ।

8• साधारण सभा का विस्तृत रूप :

Sanjay Kumar

1• गठन :- सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

2•बैठक :- सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

Tej Pal Singh
Rakesh Kumar

3• सूचना :- सामान्य बैठक के लिये 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 घन्टे पूर्व अध्यक्ष के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा दी जायेगी ।

4• गणपूर्ति :- कुल संख्या का 2/3 होगी ।

5• विशेष वार्षिक अधिवेशन :- प्रत्येक वर्ष के महिने में हुआ करेगा ।

6• साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

1• प्रबन्ध कारणी का चुनाव करना ।
2• रिक्त स्थान की पूर्ति करना ।
3• नियमों विनियमों में परिवर्तन करना ।
4• आय व्यय बजट पास करना।
5• संस्था की उन्नति के लिये कार्य करना ।

पंजीकरण (दिनांक) 24-01-04

....3 पर

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

9· प्रबन्ध कारणी का विस्तृत रूप :-

1· अध्यक्ष 2· उपाध्यक्ष 3· प्रबन्धक

4· उप प्रबन्धक/[redacted] 5· कोषाध्यक्ष

6·16 सदस्य बुन्दूरवां

जयवीर सिंह
राकेश शर्मा
[illegible]
[illegible]
राकेश
जयवीर सिंह
नन्दी सिंह प्रधान
ब्रह्मप्रकाश सिंह

1· गठन :- प्रत्येक पांच वर्ष बाद साधारण सभा द्वारा चुनाव प्रक्रिया द्वारा प्रबन्ध कारणी का गठन किया जायेगा ।

2· बैठक :- सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक वर्ष में एक बार या अध्यक्ष प्रबन्धक के निर्देशानुसार बुलाई जा सकती है ।

3· सूचना अवधि :- सामान्य बैठक के लिये सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 घन्टे पूर्व अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा स्पेशल मैसेन्जर से दी जायेगी ।

4· कोरम :- कुल संख्या का 2/3 होगा ।

5· कार्यकाल- गठन की तिथि से पांच वर्ष होगा [redacted] । बुन्दूरवां

6· प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

1· संस्था का प्रबन्ध संचालन करना ।

2· संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन करना ।

3· आय व्यय बजट तैयार कर साधारण सभा द्वारा पास कराना ।

4· अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की उन्नति में सहायक हो ।

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

....4 पर

10· प्रबन्ध कारणी के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य :-

1· अध्यक्ष : 1· समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना ।

2· संस्था के प्रबन्ध संचालन में प्रबन्धक की सलाह देगा ।

3· किसी भी बैठक के लिये प्रबन्धक की सलाह पर सूचना पत्र अपने हस्ताक्षर से जारी करना।

4· अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की उन्नति में सहायक हो ।

Sheoraj Singh

तरवीर देवी

2· उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अधिकार, कर्तव्यों का निर्वाह तथा पालन करना।

1· संस्था का प्रबन्ध संचालन करना।

2· संस्था के संचालन के लिये अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति निकालना आदि ।

3· अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से संस्था का कोष का उपयोग करना।

4· किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।

5· अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देना ।

6· संस्था के लिये दान, चन्दा, अनुदान प्राप्त करना और रसीद देना ।

7· अपनी अनुपस्थिति में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना।

प्रमाणित (दिनांक) 24-05-04

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

····5 पर

4• उपप्रबन्धक : प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक के अधिकार कर्तव्यों का निर्वाह का पालन करना ।

5• कोषाध्यक्ष : 1• संस्था के कोष की देख भाल करना।

2• संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा करना ।

3• प्रबन्धक के निर्देशों का पालन करना ।

11• संस्थान का कोष :

संस्था का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी डाकघर में जमा कोषाध्यक्ष द्वारा जमा कराया जायेगा तथा प्रबन्धक व अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाला जा सकेगा ।

12• कानूनी कार्यवाही का संचालन :

संस्था के विरुद्ध अथवा उसके पक्ष में होने वाली किसी कार्यवाही का संचालन प्रबन्धक ~~अथवा उनके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति~~ चुन्डरनो द्वारा किया जायेगा ।

13• आय व्यय का लेखा परीक्षण :

संस्था के आय व्यय (बैलेन्स शीट) किसी योग्य आडीटर द्वारा अथवा संस्था के आडीटर द्वारा ही कराया जायेगा ।

14• आय व्यय का लेखा रखने की व्यवस्था :

संस्था का कोई रिकार्ड अथवा अभिलेख प्रबन्धक द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ।

पंजीकरण (दिनांक) 25-01-04

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
चेन्नै

....6 पर

15· नियमों में परिवर्तन :

संस्था के नियमों तथा विनियमों तथा स्मृति पत्र में संशोधन होता है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 12 बुन्दरवां के अनुसार किया जायेगा ।

16· संस्था के अभिलेख :

1· सदस्यता रजिस्टर
2· कार्यवाही रजिस्टर
3· एजेन्डा रजिस्टर
4· कैश बुक स्टाक रजिस्टर
5· अन्य वे अभिलेख जो संस्था के लिये आवश्यक हो ।

17· विघटन :

संस्था का विघटन और समपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 - 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

Rakesh Kumar
प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
टी० आर० विद्यालय
रूपवास पचगाई (बुलन्दशहर)

दिनांक: 15/01/04

सत्य प्रतिलिपि

पंजीकरण (दिनांक) 24-01-04

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ
27-2-04